रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032021-225616
CG-DL-E-03032021-225616

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 947] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 3, 2021/फाल्गुन 12, 1942
No. 947] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 3, 2021/PHALGUNA 12, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मार्च, 2021

का.आ. 1026(अ)—जबकि, पहचान दस्तावेज़ के रूप में 'आधार' के उपयोग से सरकार की वितरण प्रक्रिया सरल बनी है, वहीं इससे पारदर्शिता और दक्षता आयी है और यह आवेदकों को उनके काम सुविधाजनक निर्बाध तरीके से सीधे करवाने के लिए सक्षम बनाता है और आधार से किसी की पहचान प्रमाणित करने के लिए कई दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता से छुटकारा मिल जाता है;

और सुशासन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) के लिए आधार प्रमाणीकरण नियम, 2020 के नियम 3 के अनुसार केंद्र सरकार सुशासन के लिए, निवासियों के जीवन में सुगमता बढ़ाने और सेवाओं तक बेहतर पहुंच हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए संस्थाओं से अनुरोध करके स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दे सकती है;

और का.ज्ञा.13 (2)/2020-ईजी- II (वॉल्यूम II), दिनांक 04.11.2020 के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त अनुमोदन के अनुसार सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने के प्रयोजनार्थ इसके द्वारा निम्नलिखित को सूचित किया है, अर्थात्: -

1. पोर्टल के माध्यम से पैरा (3) में उल्लिखित विभिन्न संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को

आधार प्रमाणीकरण कराना आवश्यक है;

बशर्ते कि उस समय,जब तक व्यक्ति को आधार सौंपा नहीं जाता है, तब तक ऐसे व्यक्ति को आधार नामांकन पहचान पर्ची प्रस्तुत करने पर संपर्क रहित सेवाओं का लाभ दिया जाएगा।

2. नागरिकों को सुविधाजनक और निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए मंत्रालय, कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से संपर्क रहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार की आवश्यकताओं के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिए मीडिया और व्यक्तिगत नोटिसों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था करेगा।

3. जिन संपर्क रहित सेवाओं के लिए किसी नागरिक को आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है, वे निम्नानुसार हैं: -

क	लर्नर्स लाइसेंस
ख	ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण जिसके लिए गाड़ी चलाने के लिए दक्षता जाँच की आवश्यकता नहीं होती है
ग	डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
घ	ड्राइविंग लाइसेंस में पता का परिवर्तन और पंजीकरण प्रमाण पत्र
ड.	अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना
च	लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना
छ	मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन
ज	पूरी तरह से निर्मित बॉडी के साथ मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
ञ	पंजीकरण का डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए आवेदन
ट	पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए एनओसी प्रदान करने के लिए आवेदन
ठ	मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना
ड	मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन
ढ	पंजीकरण प्रमाणपत्र में पते के परिवर्तन की सूचना
ण	मान्यताप्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन।
त	राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन
थ	राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण चिन्ह सौंपने के लिए आवेदन
द	किराया खरीद करार की अनुशंसा
ध	किराया खरीद करार की समाप्ति

4. यह अधिसूचना आधिकारिक राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. आरटी-11036 / 27/2017-एमवीएल]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2021

S.O. 1026(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables applicants to get their work done directly in a convenient seamless manner, and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And as per Rule 3 of Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020, The Central Government may allow Aadhaar authentication on a voluntary basis by requesting entities, in the interest of good governance, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them;

And as per approval received from the Ministry of Electronics and Information Technology, vide O.M 13(2)/2020-EG-II (Vol. II) dated 04.11.2020, the Ministry of Road Transport & Highways, Government of India, for the purpose of usage of digital platforms to ensure good governance, hereby notifies the following, namely: —

1. Any individual desirous of availing various contactless services mentioned in para (3), through the portal, is required to undergo Aadhaar authentication;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits of contactless services shall be given to such individual subject to the production of Aadhaar Enrolment ID slip.

2. In order to provide convenient and hassle free services to the citizen, the Ministry shall make all the required arrangements for wide publicity through media and individual notices to make citizens aware of the requirements of Aadhaar for availing contactless services through implementing agencies.

3. The contactless services for which a citizen requires to undergo Aadhaar authentication are as under: -

a.	Learner's License
b.	Renewal of Driving License for which test of competence to drive is not required
c.	Duplicate Driving License
d.	Change of Address in Driving License and Certificate of Registration
e.	Issue of International Driving Permit
f.	Surrender of Class of Vehicle from License
g.	Application for Temporary Registration of motor vehicle
h.	Application for Registration of motor vehicle with fully built body
i.	Application for issue of duplicate Certificate of Registration
j.	Application for Grant of NOC for Certificate of Registration
k.	Notice of Transfer of Ownership of motor vehicle
l.	Application for Transfer of Ownership of motor vehicle
m.	Intimation of Change of Address in Certificate of Registration
n.	Application for registration for driver training from Accredited Driver training centre.
o.	Application for registration of motor vehicle of Diplomatic Officer
p.	Application for assignment of Fresh Registration Mark of motor vehicle of Diplomatic Officer
q.	Endorsement of hire-purchase agreement
r.	Termination of hire-purchase agreement

4. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. RT-11036/27/2017-MVL)]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.03.03 22:09:48 +05'30'